

मछुआरों की समस्याएं कृषिमंत्री श्री. शरद पवार सुलझाएंगे : राम नाईक

मुंबई, गुरुवार: “मछुआरों के लिए दीर्घ समय से प्रलंबित डिझल पर रु.तीन का रिबेट देना, देशभर के किसानों को मिलने वाले चार प्रतिशत व्याजदर पर कर्ज की तरह मछुआरों को भी चार प्रतिशत दर कर्ज देना तथा समुद्र के विशेष आर्थिक झोन के लिए नया कानून पारीत करने का आश्वासन कृषि मंत्री श्री. शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री. राम नाईक को दिल्ली में बुधवार को दिया. यह जानकारी श्री. राम नाईक के जनसंपर्क कार्यालय से प्रकाशित विज्ञप्ति में दी है.

चर्चा की अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, “मछुआरों के विषय में किए गए अनेक आंदोलन के बावजूद मछुआरों को न्याय नहीं मिला. मछुआरों की समस्या को ध्यान में रखकर वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में डिझल का रिबेट प्रति लिटर 35 पैसे से बढ़ाकर रु. 1.50 किया गया. मनमोहन सरकार के समय डिझल के निरंतर बढ़ते दामों के कारण यह रिबेट रु. चार तक बढ़ाया जाए ऐसी मांग होती रही, फलस्वरूप रिबेट रु. तीन किया गया. किन्तु इस प्रावधान के साथ कि यह रिबेट गरीबी रेखा के निचे के मछुआरों को दिया जाए. मछुआरों के बोट की किमत रु. 10 से 15 लाख होती है. इस शर्त के चलते गत 3 वर्षों में देशभर के मछुआरें इस रिबेट से वंचित रहे. यह बात चर्चा के समय उपस्थित कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री. राज शेखर ने भी स्विकार की. यह सुनकर इस संदर्भ में नियमों में परिवर्तन किया जाएगा ऐसा आश्वासन कृषि मंत्री ने दिया.”

समुद्र की मछुआरी को समुद्र की खेती माना जाता है. लेकिन किसानों की तरह मछुआरों को चार प्रतिशत दर के कर्ज नहीं दिया जाता, यह अन्याय है. इस विषय को लेकर अनेक बार चर्चा हुई मगर निर्णय प्रक्रिया पुरी नहीं हो पाई. इस पर कृषिमंत्री का ध्यान आकर्षित करने पर अग्रक्रम से वित्तमंत्री से बात कर मछुआरों को राहत दी जाएगी ऐसा भी आश्वासन कृषिमंत्री ने श्री. राम नाईक को दिया.

गहरे समुद्र में 12 समुद्र मिलों के बाद के आर्थिक क्षेत्र में मछुआरों को कानून व्यवस्था के कारण होनेवाले तकलिफों के लिए कानून बनाने की मांग 4 वर्षों से प्रलंबित है. 17 मार्च 2009 से नये कानून को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होकर भी अब तक कानून का प्रारूप तैयार न होने की बात पर कृषिमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया. कानून बनाने का काम विधि मंत्रालय का है. तथापि विधि मंत्री श्री. कपिल सिब्बल से बात कर इस प्रक्रिया को गतीमान करने का आश्वासन भी कृषि मंत्री श्री. शरद पवार ने दिया है, ऐसी जानकारी भी श्री. राम नाईक ने विज्ञप्ति के अंत में दी है.

(कार्यालय मंत्री)